न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–120/2020/भीलवाड़ा कैम्प

मोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

–अपीलार्थी

बनाम

1. मांगी पत्नि हीरा भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी(राज0)
2. मदन पुत्र हीरा जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधि–

2/1–कमली पत्नि मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
2/2–भैरी पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
2/3–सूरज पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
2/4–पप्पूडी पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
2/5–राजू पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
3– लादू पुत्र हीरा जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
4–प्रभूलाल पुत्र मोहनलाल भील उम्र बालिग निवासी आरोली जिला भीलवाड़ा
5–आंवटन कमेटी माण्डलगढ़ऋ मार्फत अध्यक्ष पदेन उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बाबत कृषि प्रयोजनार्थ अधिनियम 1970 के नियम 14(4) के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 प्र0स0 18/2016

उपस्थित अभिभाषकः– श्री राकेश चौहान(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–श्री आर0सी0सारस्वत

निर्णय दिनांकः–03.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि हीरा पिता देवी भील निवासी ग्राम आरोली को तहसील बिजौलियां के खसरा नम्बर 1044/978 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, 1045/978 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1046/978 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत किया गया था। वर्तमान अपीलांट के अनुसार इस बाबत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई। न ही किसी आवेदन पत्र आवंटन की पात्रता की जांच के तथा आवंटन के पश्चात बिना आवश्यक कार्यवाही किये जाकर गलत रूप से आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट द्वारा नियम 14(4) के तहत जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया। उक्त अपील 18/2016 नम्बर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:58 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज की जाकर बाद सुनवाई जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 14.07.2016 को वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए हीरा भील को किया गया आवंटन यथावत रखा गया। जिला कलक्टर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 16.09.2016 को अपील प्रस्तुत की गई, जिसे 234/16 नम्बर पर दर्ज किया गया। जो बाद में दिनांक 17.12.2019 को उनके द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्रेषित की गई है। उक्त अपील न्यायालय हाजा में 120/20 नम्बर पर दर्ज की जाकर दिनांक 26.02.2020 को दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलांट द्वारा निम्न आधारों पर अपील की गई है–

1. आवंटन बाबत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई थी। ना ही आवंटन के बाद की प्रक्रियाऐं की गई थी। केवल बैठक रजिस्टर को ही आधार मानते हुए राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दर्ज किये गये जो गलत है।

2. भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नही थी। क्योकि अपीलांट के पिता का उस पर कब्जा था। अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 14.07.2016 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र हमने जिला कलक्टर न्यायालय में लगाया था। जो उन्होने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2016 में खारिज कर दिया। यह द्वितीय अपील है। आवंटी को सन् 1975 में भूमि आवंटन किया गया था। कुल तीन खसरा नम्बर 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि उसे आवंटित किये गये थे। जबकि आवंटन की सीमा 15 बीघा ही थी। आवंटन पत्रावली उपलब्ध नही है। लिस्ट प्राप्त होने के बाद नामातंरण खोला गया था। नामातंरण की कॉपी नहीं है। आवंटी बोनाफाइट कृषक नहीं है। खेती नहीं करता है। कब्जा हमारा है। खसरा नम्बर 978 का रकबा 20 से 25 बीघा है। वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि नियमों के तहत 15 बीघा तथा सिंचिंत 30 बीघा बंजड़ भूमि अधिकतम आवंटित की जा सकती है। आवंटित भूमि अधिकतम बंजड़ है। अनाधिवासीत भूमि माना जायेगा। क्योंकि हर बार राजस्व विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जाती रही है। भूमि हमारी खातेदारी में रही है। हम भील जाति से है। अपीलांट का कब्जे बाबत कोई दस्तावेज नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत पैनल्टी दस्तावेजों में खसरा नम्बर अंकित नहीं है। अपील खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 का है और अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 16.09.2016 को अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमियों की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया

जाये। क्योकि भूमि पर उनका कब्जा है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि चूंकि रेस्पोडेंट को आवंटित भूमि है तथा रेस्पोडेंटगण अनुसूचित जनजाति से है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। मात्र मौखिक कथन किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपील कार्यवाही के दौरान न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 22.05.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 मदन पिता हीरा भील निवासी बुधपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी का देहावसान दिनांक 05.03.2018 को हो गया है। जिसके विधिक वारिस निम्नानुसार है–

1–कमली पत्नि मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
2–भैरी पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
3–सूरज पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी
4–पप्पूडी पिता मदन जाति भील उम्र बालिग निवासी बुधपुरा जिला बून्दी।

मृतक मदन के उपरोक्त वारिसान के अलावा और कोई वारिसान नहीं है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वारिसान को कायम मुकाम के रूप में रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाये। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29. 05.2019 को बहस सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट ने भी सहमति प्रदान की। इस पर न्याय हित में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र 22(4) स्वीकार करते हुए संशोधित टाइटल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जो अगली पेशी पर प्रस्तुत किया गया है। जिसे पत्रावली पर संलग्न किया गया है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 14.07.2016 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है। इसे शामिल पत्रावली किया गया। लिखित बहस में रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा आरबीजे 2021 पेज 747 प्रभु बनाम हरदोई, आरबीजे 2020 पेज 648 बसंतकुमार बनाम अमृतमल, आरबीजे 2020 पेज 77 देवीचन्द बनाम बंशीधर, आरबीजे 2019 पेज 694 जगदीश बनाम ताहिर, आरबीजे 2001 पेज 558, आरबीजे 2010 पेज 157, आरआरडी 1995 पेज 173 लार्जरबेंज भी न्याय निर्णय प्रस्तुत किये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम आरोली खाता संख्या नया 153 के अनुसार विवादित भूमियां प्रभुलाल पिता मोहनलाल भी साकिन्देह खातेदार नामातंरण संख्या 897 से दर्ज है। कुल खसरा नम्बर 3 बताये है। रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा बताये है। खेवट खतौनी जमाबन्दी सं. 20[illegible]–35 ग्राम आरोली में विवादित भूमियां आवंटन से हीरा पुत्र दे[illegible] के नाम [illegible] होना पाया जाता है। मिसल नम्बर 1707／75 से हीरा पुत्र दे[illegible] भील [illegible] से विवादित भूमियां आवंटित हुई है, ऐसा स्पष्ट पाया जाता है। उक्त आवंटन दिनांक 17.12.1975 को पटवार मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested

सलावटिया में भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। उक्त समिति की बैठक में तहसीलदार माण्डलगढ़ , प्रधान पंचायत संमिति माण्डलगढ़, सरपंच ग्राम पंचायत सलावटिया तथा अनुसूचित जाति के सदस्य श्री रामलाल उपस्थित हुए थे तथा मिटिंग प्रोसिडिंग के अंत में गोश्वारा भी बनाया गया था। जिन में किन–किन वर्ग के लोगो को कितनी भूमियां आवंटित की गई है यह बताया गया है। उपरोक्त दस्तावेज उपजिला मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़ से प्रमाणित है जिसकी सत्यता पर संदेह नही किया जा सकता है। स्पष्ट है कि आवंटन नियमों के तहत सक्षम कमेटी के द्वारा किया जाना पाया जाता है।

हालांकि अपीलांट की इस बात में सत्यता है कि आवंटन संबंधित पत्रावली वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उक्त दस्तावेज दिनांक 25.06.2015 को मिलान कर बताया कि आवंटन दिनांक 27.12.1975 से संबंधित पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा होना नही पायी गई है। मगर आवंअन संबंधित पत्रावली जमा हुई या नही इस बाबत रेस्पोडेंट की कोई गलती नहीं है। उपरोक्त रिकोर्ड सरकारी रिकोर्ड था। जिसे संधारण रखने की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों की है। आवंटन पत्रावली न होने से यह नही माना जा सकता है कि गलत तरीके से आवंटन किया गया है।

अपीलांट का यह कहना है कि विगत 40–50 वर्षों से उनका कब्जा है तथा आवंटित भूमियों पर डोल लगाकर उनके द्वारा कुआ खोदा गया है। इस बाबत उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। आरबीजे 2001 पेज 558 के अनुसार–Govt. land in possession of trespasser is unoccupied land . such land can be allotted to the landless person.

न्यायालय उक्त न्यायिक दृष्टांत से पूर्णतः सहमत है। आवंटन से पूर्व यदि अतिक्रमी का कब्जा रहा हो तो भी ऐसी भूमियां आंवटन के लिए उपलब्ध रहेगी।

अपीलांट द्वारा दिनांक 22.03.2016 को आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इससे पूर्व ही विवादित भूमियों पर रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में नियम 14(4) के प्रावधान खातेदारी अधिकार के लागू नही होते है। रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत– आरबीजे 2021 पेज 747 प्रभु बनाम हरदोई, आरबीजे 2020 पेज 648 बसंतकुमार बनाम अमृतमल, आरबीजे 2020 पेज 77 देवीचन्द बनाम बंशीधर वर्तमान प्रकरण में सही रूप से चस्पा होते है। चूंकि आवंटी हीरा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उसके पश्चात भूमियां रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय करने की बात भी सामने आई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) उसे कोई लाभ नही देता है। अपीलांट द्वारा आवंटी को सीमा से ज्यादा भूमि आवंटीत करने की बात कही गई है तथा यह भी कहा गया है कि उसके पास पूर्व से ही जमीन थी तथा पूर्व से ही भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नही आता था। नियम 12 आवंटन नियम 1970 के अनुसार बाड़मेर,जोधपुर,चुरू, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर जिलों में भूमि आवंटन की अधिकतम सीमा 6 हेक्टेयर होगी तथा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested

जिलो में 4 हेक्टेयर से ज्यादा नही होगी। जिला भीलवाड़ा हेतु आवंटन की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर मानी जायेगी। उक्त क्षेत्रफल में आवंटी के द्वारा पूर्व में धारित भूमियों तथा उसके नेशनल शेयर में आने वाली भूमि के क्षेत्रफल को जोड़कर आवंटी को उपलब्ध करवायी गयी आवंटीत भूमि को जोड़कर देखा जायेगा। वर्तमान प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि आवंटी के पास पूर्व में कितनी भूमि थी या पूर्व में धारित उसके हिस्से में कितनी भूमि का हिस्सा था। चूंकि 4 हेक्टेयर की सीमा तक भूमि आवंटित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आवंटी के पक्ष में किया गया भूमि आवंटन जो कि मात्र 15 बीघा 2 बिस्वा ही किया गया है जो उचित जान पड़ता है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी हीरा पुत्र देवी भील निवासी आरोली को नियमानुसार सक्षम कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के तहत कोरम की बैठक के बाद दिनांक 27.12.1975 को विवादित भूमि आवंटित की गई थी। उसे नियमों से ज्यादा भूमि आवंटित किया जाना नहीं पाया जाता है। आवंटी और वर्तमान रेस्पोडेंट अनुसूचित जनजाति से है। इनके द्वारा धारित भूमियों पर किसी भी हालत में अन्य वर्ग के जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नही है को कोई अन्य लाभ नही दिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योकि रेस्पोडेंट द्वारा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेन्टेशन, तथ्य छुपाकर तथा नियमों के विरूद्ध जाकर कोई आवंटन प्राप्त नहीं किया है। अपील खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा अन्तर्गत प्रकरण संख्या 18/2016 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 नियम 14(4) उनवानी मोहनलाल बनाम मांग व अन्य निर्णय दिनांक 14.07.2016 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested